OFFICE OF THE DSW
No. 3148
Dt. 30/09/2022

कैन्टीन संचालन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना

ऐतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कला संकाय परिसर स्थित छात्र कैन्टीन संचालन हेतु इच्छुक संस्थाओं एवं व्यक्तियों से निविदा आमंत्रित किये जाते हैं। उपरोक्त निविदायें दिनांक 30/09/2022 से दिनांक 17/10/2022 को शाम 5:00 बजे तक भरकर अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय में रक्खे निविदा बाक्स में जमा करने हेतु आमंत्रित की जाती है जो दिनांक 18/10/2022 को अपराह्न 3:00 बजे सम्बन्धित समिति के सामने खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय की बेबसाइट (www.allduniv.ac.in) पर उपलब्ध है, जहाँ से निविदा प्रपत्र डाउनलोड किया जा सकता है।

कैन्टीन संचालन हेतु निविदा की नियम एवं शर्तें निम्नवत है।

1. कैन्टीन संचालन हेतु प्रथम एक वर्ष के लिए न्यूनतम किराया रू० 2000/- प्रतिमाह निर्धारित है। जिस निविदाकर्ता द्वारा अधिकतम किराया प्रस्तावित किया जायेगा एवं निविदा फार्म के साथ संलग्न सूची में वर्णित विक्रय के लिए प्रदान की जाने वाली खाद्य सामग्री की विक्रय कीमत कम होगी अन्य शर्तों के अधीन उसकी निविदा स्वीकार की जायेगी।
2. निविदा के साथ निविदाकर्ता को अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र यदि उसने पूर्व में कैन्टीन संचालन किया हो तो उक्त अनुभव को समिति द्वारा अतिरिक्त अनुभव मानते हुए प्राथमिकता दी जा सकती है।
3. कैन्टीन चलाने हेतु पहले एक वर्ष के लिए अनुमति पत्र जारी किया जायेगा, कैन्टीन संचालन की एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर कैन्टीन समिति की अनुशंसा पर एवं कार्य संतोषजनक पाए जाने की दशा में संचालन की अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की जा सकता है। इस हेतु कैन्टीन संचालनकर्ता को प्रतिमाह के किराए में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए किराए का भुगतान करना होगा।

REGISTRAR
University of Allahabad
Allahabad

4. अनुबंध की अवधि समाप्त होने के पश्चात् यदि कैन्टीन संचालनकर्ता पुनः कैन्टीन संचालन हेतु अनुमति प्राप्त करना चाहता है तो यह नीलामी प्रक्रिया में नियमानुसार भाग ले सकेगा और जबतक कैन्टीन नवीन कैन्टीन संचालक को आवंटित नहीं होती तब तक प्रतिमाह का किराया 10 प्रतिशत बढ़ाकर जमा करना होगा।

5. निविदाकर्ता को निविदाफार्म के साथ रु. 25000/- (पच्चीस हजार रूपये) की धरोहर राशि वित्त अधिकारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय को देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। सफल निविदाकर्ता के अतिरिक्त शेष निविदाकर्ताओं को उक्त जमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट लौटा दिया जायेगा जिसपर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

6. कैन्टीन संचालक को कैन्टीन हेतु पृथक से विद्युत संयोजन प्राप्त कर वास्तविक दरो के अनुसार विद्युत देयक का भुगतान करना होगा।

7. *कैन्टीन संचालक द्वारा अनुबंध अवधि में जल संयोजन हेतु अनुज्ञप्तिदाता से अनुमति प्राप्त की जा सकेगी जिसका व्यय कैटीन संचालक को ही वहन करना होगा।*

8. *कैन्टीन के संचालन के लिए कैन्टीन संचालक के द्वारा ही मशीनों एवं अग्नि नियामकों के अनुसार अग्निशामक उपकरण स्थापित किया जायेगा तथा इस पर रख रखाव में हुये व्यय का वहन भी कैंटीन संचालक का ही होगा।*

9. *कैन्टीन संचालक कैन्टीन का विधि अनुसार संबंधित नगरपालिका परिषद / नगर निगम से दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन करायेगा तथा समस्त प्रकार के करों का भुगतान करेगा।*

10. *कैंटीन संचालक के द्वारा खाद्य सामग्री विक्रय की दर अधिष्ठाता छात्र कल्याण, इ.वि.वि. से अनुमोदित कराई जावेगी, ऐंसी दर बाजार दर से अधिक नहीं होगी एवं अनुमोदित दरों पर ही मानक स्तर की खाद्य सामग्री विक्रय की जायेगी।*

REGISTRAR
University of Allahabad
Allahabad

11.निविदा फार्म के साथ संलग्न विक्रय सामग्रियों के अलावा कैंटीन संचालन/अनुज्ञप्तिधारक कैंटीन में पैक की हुई खाद्य सामग्री एवं पेय पदार्थ जिनमें कंपनी या निर्माता की ओर से निर्धारित दर पर या उससे न्यूनतम दर पर ही विक्रय कर सकेगा।

12.विक्रय योग्य वस्तुओं की दरें कैन्टीन परिसर में सद्रश्य भाग पर प्रदर्शित करने का उत्तरदायित्व भी कैन्टीन संचालक का होगा।

13.कैन्टीन संचालन में अनुबंध अनुसार अवधि पूर्ण होने के पूर्व यदि कैन्टीन संचालक के द्वारा कैंटीन का संचालन बंद किया जाता है तो कैन्टीन संचालक को उसके द्वारा जमा की गई कोई भी राशि नहीं लौटाई जावेगी और कैंटीन का कब्जा ले लिया जायेगा।

14.इस प्रपत्र में उल्लिखित कैंटीन संचालन की शर्तों का कैंटीन संचालक द्वारा प्रत्यक्ष का परोक्ष रूप से उल्लंघन करने की दशा में अन्यथा स्थिति निर्मित होने पर बिना किसी सूचना के कैंटीन अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा एवं धरोहर राशि विश्वविद्यालय के हित में जब्त की जा सकेगी, जिसका कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

15.कैटीन संचालक ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विश्वविद्यालय संपप्ति की क्षति हो अन्यथा अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा।

16.कैन्टीन संचालक कैन्टीन संचालन के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई विधि विरूद्ध गतिविधि संचालित नहीं करेगा अन्यथा कैन्टीन संचालक के विरूद्ध विधिवत् कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

17.कैन्टीन संचालक या उसके कर्मचारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों हेतु परिसर का उपयोग नहीं करेंगे और न ही करने देंगे और

REGISTRAR
University of Allahabad
Allahabad

प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परिसर में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने पर कैन्टीन अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

18.कैन्टीन संचालक के द्वारा कैन्टीन के संचालन के दौरान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार स्थाई निर्माण/संरचना नहीं किया जावेगा।

19.कैन्टीन संचालको दुकान से लगे हुए खुले स्थान पर कोई अधिकार नहीं होगा और वह कैन्टीन तथा आसपास के परिसर को पूर्णतः स्वच्छ रखेगा अन्यथा अनुज्ञप्तिदाता के द्वारा प्रति दिवस 500/- रूपये की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

20.कैटीन संचालक अनावश्यक रूप से कैन्टीन बंद नहीं रखेगा अन्यथा अनुज्ञप्तिदाता के द्वारा 1000/- रूपये प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

21.कैन्टीन संचालन में व्यवधान आने की स्थिति में अनुज्ञप्तिदाता का कोई दायित्व नहीं रहेगा।

22.कैन्टीन संचालक द्वारा कैन्टीन परिसर में स्वयं की व्यय पर कलर, पेंट एवं मरम्मत आदि का कार्य समय-समय पर कराया जावेगा।

23.कैन्टीन संचालक के द्वारा कैन्टीन परिसर या उसका कोई भाग उपकिरायेदारी आदि पर या अन्यथा हस्तांरित नहीं किया जायेगा।

24.कैन्टीन संचालक कैन्टीन में मानक के अनुसार खाद्य सामग्री विक्रय करेगा तथा व्यवसायिक गैस सिलेंडर का उपयोग कर अन्य सुसंगत विधियों जैसे श्रमविधि आदि के प्रावधानों का पालन करेगा। कैंटीन संचालक के पास भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा खाद्य सामग्री की बिक्री हेतु प्रमाण पत्र होना चाहिए।

REGISTRAR
University of Allahabad
Allahabad

25.कैन्टीन के अंदर किसी भी मादक पदार्थ अथवा द्रव्यों /धूमपान / पान /तम्बाकू/बीडी/ सिगरेट आदि का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

26.निविदा फार्म प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता के द्वारा निविदा के साथ पहचान पत्र जैसे मतदाता परिचय पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड / पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

नोट - निविदा दिनांक 18/10/2022 को दोपहर 2:00 बजे अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय में निविदाकर्ता /प्रतिनिधि की उपस्थिति में गठित समिति के समक्ष खोला जायेगा, यदि किसी कारणों में उक्त दिवस पर निविदा नहीं खुल पायी तो अगले कार्य दिवस पर उपरोक्त समय व स्थान पर निविदा खोला जावेगा।

"मुझे निविदा की समस्त शर्ते स्वीकार है।"

हस्ताक्षर
निविदाकर्ता (प्रथम पक्ष)

निविदाकर्ता का पूरा नाम ....
पिता का नाम ....
पता ....
फोन नम्बर/मोबाइल नम्बर ....
ई-मेल आईडी ....

संलग्न - 01 कैंटीन संचालन हेतु दर की सूची।

REGISTRAR
University of Allahabad
Allahabad

कैन्टीन संचालन हेतु निविदा फार्म

प्रथम पक्ष	-	निविदाकर्ता का नाम ....
		पिता का नाम ....
		पता ....
		....
		मोबाइल नं...
		ई-मेल आई.डी....................................
		प्रस्तावित अनुबंध राशि........................
अनुज्ञप्तिदाता	-	अधिष्ठाता, छात्र कल्याण
कैंटीन संचालन का स्थान	-	कला संकाय परिसर, भूगोल विभाग के पास, इलाहाबाद विश्वविद्यालय।

NCL

(कुलसचिव)

REGISTRAR
University of Allahabad
Allahabad

केंटीन संचालन हेतु विक्रय की जाने वाली सामाग्रियॉ एवं निविदाकर्ता के द्वारा प्रस्तावित दरें

क.	खाद्य सामाग्री का नाम	मात्रा / तादात	कीमत	रिमार्क
1.	चाय	प्रति कप 75 मि.ली.		
2.	काफी	प्रति कप 75 मि.ली.		
3.	आलूबडा.	प्रति नग 75 ग्राम		
4.	समोसा एवं भाजीबडा	प्रति नग 75 ग्राम		
5.	कचोरी	प्रति नग 75 ग्राम		
6.	इडली / सांभर	2 नग प्रति नग वजन 60 ग्राम		
7.	पोहा	प्रति प्लेट 150 ग्राम		
8.	भजिया	प्रति प्लेट 100 ग्राम		
9.	जलेबी	प्रति प्लेट 100ग्राम		
10.	मंगोडी	प्रति प्लेट 100 ग्राम		
11.	बालूशाही	प्रति नग 80 ग्राम		
12.	बूंदी का लड्डू	प्रति नग 60 ग्राम		
13.	मगज का लड्डू	प्रति नग 60 ग्राम		
14.	गुलाब जामुन	प्रति नग 80 ग्राम		
15	दोपहर का भोजन एक सब्जी दाल चावल रोटी चार	प्रति थाली खाद्य सामग्री का कुल वजन 500 ग्राम		
16	सब्जी एक 6 पूडी	प्रति पैकेट 200 ग्राम		
17	लस्सी	प्रति गिलास 200 ग्राम		
18	सलोनी	60 ग्राम		
19	बूंदी	60 ग्राम		
20	रसगुल्ला	प्रतिनग 80 ग्राम		
21	छाछ	प्रति गिलास 200 मि.ली.		

REGISTRAR
University of Allahabad
Allahabad

22	पानी बॉटल	क्रमशः एक लीटर,500 मि.ली., 200 मि.ली.		
23	खोवा जलेबी	प्रति नग 100 ग्राम		
24	डोसा साभर एवं चटनी	1 नग 200 ग्राम		
25	छोले भटुरे	एक प्लेट दो भटुरे एवं छोले		
26.	दही बड़ा	प्रति नग 60 ग्राम		
27	साभर बड़ा	2 नग बड़ा एवं साभर 60 ग्राम		
28	1 समोसा सहित मटर	प्रति प्लेट 150 ग्राम		

नोटः— निविदाकर्ता के द्वारा उपरोक्त सामाग्री की दर आवश्यक रूप से भरा जाकर सत्यापन स्वरूप हस्ताक्षर एवं नाम पता का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

हस्ताक्षर

निविदाकर्ता (प्रथम पक्ष)

निविदाकर्ता का पूरा नाम ....

....

पताः— ....

REGISTRAR
University of Allahabad
Allahabad